न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज.)

अपील संख्या 12/02/2024
कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2024/3

बनाम

अपीलार्थी :–
श्री विनीत कुमार गर्ग पुत्र श्री हरिराम अग्रवाल
निवासी – किले के पास, पोस्ट मालाखेडा,
तहसील मालाखेडा, जिला अलवर
पिन 301406 मो0 9950618355

प्रत्यर्थी :–
राज्य लोक सूचना अधिकारी
एवं उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा

प्रवेश तिथि :: 01.01.2024

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 11.03.2024

1. उभयपक्ष अनुपस्थित, प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने सूचना आवेदन के माध्यम से प्रत्यर्थी के कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा के संबंध में सूचना चाही गई थी।
4. वांछित सूचना नहीं मिलने के आक्षेप पर अपीलार्थी द्वारा प्रा0पत्र दिनांकः 21.12.2023 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. प्रथम अपील के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर तलब किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु वांछित सूचना के संबंध में अपीलार्थी को सूचित करते हुए पत्रांकः 148 दिनांकः 22.01.2024 मय संलग्नक, जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
6. अपीलार्थी द्वारा अपील में आक्षेपित तथ्यों व प्रथम सूचना आवेदन में वांछित सूचना के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब/सूचना पर गौर/मनन किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा वांछित सूचना के संबध में अपीलार्थी को पत्रांक 2011 दिनांक 07.11.2023 द्वारा सूचित किया जा चुका है।
7. उक्त आलोक में प्रत्यर्थी द्वारा किया गया विनिश्चय उचित एवं पर्याप्त है। अपील निर्बल है।
8. अतः **अपील अस्वीकार की जाकर खारिज** की जाती है।
9. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. आज दिनांकः 11.03.2024 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया। ।

अति0 जिला कलक्टर
(द्वितीय)अलवर (राज.)